

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर(म0प्र0)



क्रमांक: डीसीडीसी / 115

विश्वविद्यालय कार्यालय,
सागर, दिनांक 01.09.2011

—: प्रमाण पत्र :-

8

प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी गई संबद्धता-निरंतरता सत्र 2011-12 में भी जारी है।

1. बी.ए.—आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2. बी.काम.—सभी अनिवार्य विषय / कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित
3. बी.एससी.—आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कम्प्यूटर साइंस, बायोटेक्नालाजी एवं नाइकोबायालाजी,,
4. बी.सी.ए.
5. पी.जी.डी.सी.ए.
6. एम.सी.एम.
7. बी.बी.ए. (ऑनर्स)
8. एम.ए.पूर्वाह्न—हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र
9. एम.काम.पूर्वाह्न
10. एम.एससी.पूर्वाह्न— बायोटेक्नालॉजी एवं गणित

Naw

कुलसचिव
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर (म0प्र0)

प्रति,

प्राचार्य,
ज्ञानवीर महाविद्यालय,
सागर (म0प्र0)

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल-462004

क्रमांक /428/आउशि/सम्ब/10 भोपाल,दिनांक
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
ज्ञानवीर सेवा समिति,
किश्चियन कालोनी, सीमा नगर,
सागर।

विषय:-महाविद्यालय का नाम परिवर्तन किए जाने बाबत।
संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक नाम परि. एवं दिनांक 11.6.2010

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में संस्था द्वारा मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने के पश्चात् संस्था को महाविद्यालय का निम्नानुसार नाम परिवर्तन किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


महाविद्यालय का पूर्व का नाम	महाविद्यालय का परिवर्तित नवीन नाम
ज्ञानवीर महाविद्यालय, गोपालगंज सागर	ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड साइंस, सागर

आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।

(डॉ०जयश्री मिश्रा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल,दिनांक 30-8-10

पृ०क्रमांक 2824/428/आउशि/सम्ब/10,
प्रतिलिपि:-

1. कुल सचिव, डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर सागर संभाग,जबलपुर।
3. प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

04

" कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मंत्रालय
असाक्षकोष वैश्विक संस्थानों से संबंधित शाखा
सिन्धु मदन, रणायला हिला, मोपाल."

34.291 - प्रमाण-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अंतर्गत

प्राचार्य शानवीर देवा सीपीसी तामर
द्वारा प्रमाण-पत्र क्रमांक 091 दिनांक 17.6.2000 द्वारा इस विभाग को
विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1) के अंतर्गत महाविद्यालय में -
सत्र 2000-2001 से नया असाक्षकोष महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त
विषयों को लक्ष्य प्रारंभ किए जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया है।

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1. पी.सी.ए. प्रथम | - | 2000-2001 |
| विषय:- | सत्र: | |
| 2. पी.सी.ए. प्रथम वर्षीय जीवशास्त्र विषय
विषय कम्प्यूटर सफल विभाजन | | 2000-2001 |
| 3. पी.सी.ए. प्रथम--आधार या उपक्रम, विज्ञानी साहित्य,
अज्ञानी साहित्य, साहित्य, भाषा, समाजशास्त्र,
राष्ट्रीय विद्यालय, सर्व अर्थशास्त्र | | 2000-2001 |

उक्त आवेदन पत्र विरोधक समिति के प्रतिवेदन दिनांक 17.6.2000 पर
विचार करने के उपरांत यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विद्वत् परिषद के प्रावधान
26(1) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत पृथक कार्य परिषद के विश्वविद्यालय अधिनियम
के प्रावधान 24(1) के अंतर्गत एक वर्ष के लिए अस्थाई अनुमति दी जाये कि यह संस्था
के आवेदन पर विचार करें।

अतः यह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, मातोश्री महाविद्यालय, सजीति -
को प्रेषित करता है, जिससे विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-26(1) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें, आवश्यक शर्त-निष्ठावृत्त हैं:-

1. सत्र 2000-01 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिए वैश्विक स्टाफ को पूरी व्यवस्था हो।
2. प्रयोगशाला को तैयार सुविधाएं प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व पूरी की जायें जिसे सत्र आरंभ होने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।
3. संस्था विभिन्न संसाधनों को जानकारी इस कार्यालय को 1 माह में उपलब्ध करायें तथा इससे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करायें जो न वही है अनुमानित -
व्यक्त प्रस्ताव को जानकारी दें:-

डाक्टर हरीसिंह गौर शिक्षा विद्यालय, सागर 8-10-08

संख्या: सीसीटी/अस्थायी सम्बन्ध/2000/3807

शिक्षा विद्यालय कार्यालय,

सागर, दिनांक 11-01-2001

विषय: अधिष्ठाता

जी.सी.टी. सं. 27 की कीर्तना सं. एवं 5 के प्राधान्यानुसार शिक्षा पीरपट्ट की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 2-9-2000 में की गई अनुसंधानों के आधार पर कार्यपीरपट्ट की बैठक दिनांक 3-12-2000 में लिये गये निम्नलिखितानुसार ज्ञानपीर महाविद्यालय, सागर में निम्नलिखित विषयों की व्यापक प्रारंभ लिये जाने हेतु अस्थायी सम्बन्ध सत्र 2000-2001 के लिये इस शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि निरीक्षण समिति द्वारा दर्शाये गई कीर्तना की पूर्ति एवं पीरपट्टों, अध्यादेशों में प्रावधानित नियमों का पालन महाविद्यालय द्वारा पूर्ण रूप से किया जायेगा:-

1. सी.सी.टी. प्रथम वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र.
2. सी.सी.टी. प्रथम वर्ष - सभी अनिवार्य विषयों में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर.
3. सी.सी.टी. प्रथम वर्ष.

आदेशानुसार,

कुलीपति

डाक्टर हरीसिंह गौर शिक्षा विद्यालय, सागर.

प्रतिनिधि:-

1. श्रीमती सी.वि.ता श्रीमती सिंधु रामदूत, अध्यक्ष महाविद्यालय, सागर पीरपट्ट सेवा समिति, शिक्षा विभाग, जालौली, सी.सी.टी. सागर 8-10-08
2. प्राचार्य, ज्ञानपीर महाविद्यालय, मुख्य मार्ग, पोनातान, सागर 8-10-08
3. आचार्य, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन & अंतरराज्यीय शैक्षणिक संस्थाओं के संबंधित शाखा, हिन्दी भवन, राम मता भवन, पोनातान
4. सचिव, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन, सी.सी.टी. सागर, पोनातान
5. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा & सागर संभाग & जलपुर
6. संचालक, महाविद्यालयीन विद्यालय पीरपट्ट, सागर